तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
26/12/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य का[illegible] से तशरीफ रखाते है/ अन्य कार्य मे व्यस्त है/ अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साक्ष्य कार्यवाही हेतु दिनांक 13/01/25 को पेश हो।
13/01/25	वकु० उप०। TDR बून्दी की रिपोर्ट जरिये पत्रांक. भू० अ०/6280 दिनांक 13/12/24 शा० मि० पत्रावली है। बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 17/01/25 को पेश हो।
17/01/25	वकु० उप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा० मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति अभिलेख[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:48:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
26 / दावा / 2023	**11.07.2023**	**हरबिन्दर डी0 सिंह,** आर0ए0एस0

रामकरण पुत्र गोकूल जाति मीणा निवासी उन्दोलिया की डूंगरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—वादी

—बनाम—

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् नाम इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— वादी की ओर से एडवोकेट हिमांशी शर्मा।
प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार।

वाद—पत्र वादी द्वारा पेश किया गया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि खाता संख्या—104 नया व 92 पुराना खसरा संख्या—419 रकबा 1.1689 है०, खसरा संख्या—441 रकबा 4.5602 है0, खसरा संख्या—441/550 रकबा 0.3076 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.0367 है0 वाके ग्राम अस्तोली पटवार हल्का हट्टीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी मे स्थित हैं। जो राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम—1 लगायत 15 के शामलाती खाते इन्द्राज हैं। वादी व प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वजों द्वारा आज से करीब 50 वर्ष पूर्व उपरोक्त कृषि भूमि का काश्त की सहूलियत के लिऐ आपसी विभाजन कर लिया था तथा वादी को कृषि भूमि खाता संख्या—104 नया व 92 पुराना खसरा संख्या—419 रकबा 1.1689 है०, खसरा संख्या—441 रकबा 4.5602 है0, खसरा संख्या—441/550 रकबा 0.3076 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.0367 है0 वाके ग्राम अस्तोली पटवार हल्का हट्टीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में वादी के हिस्से में 1/2 भूमि यानि 3.01835 है0 भूमि को आपसी बंटवारे मे दी गई थी। जिसमें वादी उसी वक्त से काश्त करता आ रहा हैं तथा उक्त भूमि का लगान पिलाई आदी भी वादी ही जमा कराता हैं। वादी का नाम सभी राजकीय दस्तावेजात्, आई.डी., राशनकार्ड आदि में रामकरण हैं, जबकि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी का नाम करणा होने से वादी कृषि लाभ से वंचित हो रहा हैं, उसके कृषि भूमि बाबत् अपने हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार सरकार व अन्य [illegible] से वंचित होना पड़ रहा हैं। वादी उक्त राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपना सही ना[illegible]ण पिता गोकूल दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। वादी ने भी खाता [illegible] अपने हिस्से पर कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, किन्तु वादी का नाम सभी [illegible]तावेजात में रामकरण होने से तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में करणा दर्ज होने के कारण वादी को ऋण नहीं दिया गया। वादी का परिवार में मूल पूरुष गोकूल आ० क[illegible] के वारिसान रामकरण (वादी) व नारायण तथा श्रीराम व हुकुमचंद पिसरान रामनारायण हैं, जो वादी के पूर्वज हैं। वादी पूर्वजों के जीवनकाल से ही अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। वादी भी उपरोक्त वाद पत्र की चरण क्रम 1 की भूमि पर वर्षो से शांति पूर्वक काबिज हैं तथा राजस्व कर्मचारियों की गलती से नाम गलत अंकित होने से वादी अपने अधिकार से वंचित हो रहा हैं, जिससे वादी को कृषि भूमि बाबत् काफी नुकसान हो रहा हैं। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपने गलत दर्ज हुऐ नाम को सही करवाकर राजस्व रेकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:48:59 IST
Reason: SelfAttested

...का सही इन्द्राज करवायें तथा कृषि भूमि का लाभ प्राप्त करें। वादी द्वारा वाद पत्र में ...आदि अंकित कर निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की चरण ... 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम करणा पुत्र गोकुल के स्थान पर रामकरा पुत्र गोकुल सही अंकन करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में सही संशोधन किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जायें।

उक्तानुसार वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, बून्दी से वाद पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2024/6280 दिनांक 13.12.2024 से अवगत कराया है कि ग्राम अरतोली की जमाबंदी सम्वत् 2073–76 वर्ष 2079 के खाता संख्या 104 किता 3 रकबा 6.0367 है0 में करणा पि0 गोकुल हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/2 (खसरा संख्या 441/550 बिना रहन) केनरा बैंक शाखा देवली बाईपास रोड, बून्दी भू0वि0क0 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम रामकरण पि0 गोकुल जाति मीणा दर्ज है एवं मजमे आम ग्रामवासियान् व सहखातेदारान् से प्राप्त जानकारी अनुसार करणा व रामकरण पि0 गोकुल मीणा एक ही व्यक्ति का नाम है। अतः प्रार्थी का नाम प्रस्तुत दस्तावेज, मजमेआम व सहखातेदारान् से प्राप्त जानकारी अनुसार करणा उर्फ रामकरण पि0 गोकुल दर्ज किया जाना अपेक्षित है। अतः अनुशंषा की जाती है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में सहवन से करणा अंकित कर दिया है जबकि वादी का दस्तावेजी नाम रामकरण है। राजस्व रेकार्ड में करणा अंकित होने से वादी को अपने काश्तकारी कार्य में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये श्रीमान् से निवेदन है कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामकरण अंकित करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न ग्राम अरतोली के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 104 पुराना 92 की आराजी खसरा संख्या 419 रकबा 1.1689 है0, खसरा संख्या 441 रकबा 4.5602 है0, खसरा संख्या 441/550 कुल किता 3 कुल रकबा 6.0367 है0 में वादी का नाम करणा पुत्र गोकुल अंकित है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी करणा व रामकरण वादी के ही नाम है। इसलिये वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना एवं वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में करणा के स्थान पर करणा उर्फ रामकरण किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अरतोली तहसील व जिला बून्दी राजस्थान के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 104 पुराना 92 की आराजी खसरा संख्या 419 रकबा 1.1689 है0, खसरा संख्या 441 रकबा 4.5602 है0, खसरा संख्या 441/550 कुल किता 3 कुल रकबा 6.0367 है0 में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी "करणा पुत्र गोकुल" के स्थान पर "करणा उर्फ रामकरण पुत्र गोकुल" अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार तहसीलदार, बून्दी को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति ... हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:48:59 IST
Reason: SelfAttested

(हरविन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी